संख्या-43/2017/817/12-3-2017-100(64)/2012टी.सी.

प्रेषक,

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, **लखनऊ।**

कृषि अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: **11** अगस्त, **2017**

विषय- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 0201-कृषि क्षेत्र की पूंजीगत योजनायें के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या-688/12-3-2017-100(64)/2012टी.सी., दिनांक 19.07.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 19.07.2017 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 0201-कृषि क्षेत्र की पूंजीगत योजनायें के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 136.49 लाख अवमुक्त की गई है। उक्त शासनादेश दिनांक 19.07.2017 में त्रुटिवश शासनादेश के प्रस्तर संख्या-01 में उल्लिखित तालिका के क्रमांक-2 पर अंकित परियोजना का नाम "**Infrastructure development on Govt. Agricultural Seed production farms"** अंकित हो गया है। अत: शासनादेश दिनांक 19.07.2017 के प्रस्तर संख्या-01 में उल्लिखित तालिका के क्रमांक-2 पर अंकित परियोजना का नाम "**Infrastructure development on Govt. Agricultural Seed production farms"** के स्थान पर अब "**Infrastructure and assets development at Govt. Agriculture farms"** पढ़ा जाय।

3- शासनादेश संख्या-688/12-3-2017-100(64)/2012टी.सी., दिनांक 19.07.2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4- शासनादेश दिनांक 19.07.2017 के शेष प्राविधान/शर्तें यथावत् रहेगी।

भवदीय,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

सं0-43/2017/817(1)/12-3-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- निदेशक, आर के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।
7- समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।
8- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
10- सम्बन्धित परियोजनाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।
11- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
12- नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।
13- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
14- शासनादेश की वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in पर अपलोड करने हेतु।
15- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in